XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3138—एक/14 जिला — विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.3.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गंज बासौदा, जिला विदशा के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/13—14 में पारित आदेश दिनांक 30—8—14 के विरूद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा कर अपील अवधि में मान्य कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । 2— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों को सुनकर उनके समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को इस आधार पर क्षमा किया गया है कि नामांतरण पंजी पर क्रेता और विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है । इश्तकार की प्रति भी संलग्न नहीं है और वह आवश्यक पक्षकार है उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया । इस कारण उन्होंने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करते हुए प्रकरण में गुणदोषों पर विचार करने के आदेश दिए हैं । उनका यह आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक और समतामय है । प्रकरण का निराकरण अभी गुणदोष पर होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R-3138-I/14

श्रीमती सुनीता पत्नी महेन्द्रकुमार चौरसिया
आयु 50 साल, व्यवसाय कृषि, निवासी सावर
चौक बासौदा जिला विदिशा मध्यप्रदेश
---- ----. निगरानीकर्ता

बनाम

सौदान सिंह पुत्र दर्शन सिंह रघुवंशी निवासी
ग्राम हथोडा तहसील बासौदा जिला विदिशा
मध्यप्रदेश --- --- रिस्पोन्डेन्ट

श्री आर० बी० शर्मा, अभि० द्वारा आज दि. 17-9-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
17-9-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश 30-8-2014 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गंज बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 15/अपील-13-14 सौदान सिंह बनाम श्रीमती सुनीता चौरसिया मे पारित आदेश के विरुद्ध

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार है:-

(1) यह कि, निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष बयनामा दिनाक 3-4-2005 के आधार पर नामान्तरण हेतु सर्वे क्रमांक 278/5 एवं 278/6 का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11-12-2010 प्रमाणित प्रविष्टि दिनांक 15-1-2011 द्वारा नामान्तरण स्वीकार किया गया। निगरानीकर्ता का बहैसियत स्वामी राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज है।

(2) यह कि, उक्त नामान्तरण के विरुद्ध रिस्पोन्डेन्ट द्वारा आदेश दिनांक 15-1-2011 के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 5 अवधि विधान अधि०